अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मेवा राम पुत्र हरचन्द बनाम हरचन्द व अन्य

किस्म मुकदमा–225 राज. काश्तकारी अधि. अपीलसंख्या 281/2022(अजमेर)

	श्री सुरेश चन्द भड़ाणा एडवोकेट	
	मेवाराम बनाम हरचन्द वगैरह	
21.09.2022	यह अपील श्री सुरेश चन्द भड़ाणा एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 59/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2022(23.07.2015) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई है। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई, अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2022 को पेश हों। क्षेत्र अपील प्राधिकारी अजमेर	
27.09.2022	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश की गई अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि वादी/अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट एवं अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 4 की पुश्तैनी सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम घूघरा तहसील अजमेर में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के अवैध इन्द्राज दर्ज होने से अजनबी क्रेतागण को विवादग्रस्त आराजी में से भूमि का विशेष भू–भाग रहन, बेचान व मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है तथा अपीलांट को धमकी देता है कि उक्त आराजी पर तुम्हारा कोई लेना–देना नही है, इसलिए अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के सारे अनुरोध को दरकिनार करते हुए अपीलग्रस्त आदेश प्रदान कर दिया गये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.09.2022(23.07.2015) को किसी प्रकार के स्थगन आदेश पारित नहीं किये जाने के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है किन्तु अवैध इन्द्राज की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने एवं विवादित आराजी को रहन, बेचान व मुन्तकिल करने भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तन, निर्माण करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो अपीलांट अपनी पुश्तैनी तन्हा खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में महरूम हो जायेगी, जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात वर्किंग खसरा संख्या अनुसार हाल आधार जमाबंदी में खाता संख्या 998 खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 2954 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 3285 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 3381 रकबा 0.23, खसरा नम्बर 3382 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 3400 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 3401	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मेवा राम पुत्र हरचन्द बनाम हरचन्द व अन्य

किस्म मुकदमा–225 राज. काश्तकारी अधि. अपीलसंख्या 281 / 2022(अजमेर)

श्री सुरेश भड़ाना ऐड

लगातार

रकबा 0.35, खसरा नम्बर 3402 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 4574 / 3287 रकबा 0.04 है. हाल आधारा खाता संख्या 292 खसरा नम्बर 3285 / 3481 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 3287 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 3288 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 4560 / 3285 रकबा 0..09 है0 वाके ग्राम घूघरा की मौका की यथास्थिति बनाये रखे एव रेसपोडेन्ट को अपीलांट के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने एवं विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल करने, भूमि की किस्म एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चत न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी को बेचान, हस्तातंरण नहीं की जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित वादग्रस्त आराजियात वर्किंग खसरा संख्या अनुसार हाल आधार जमाबंदी में खाता संख्या 998 खसरा नम्बर 1689 रकबा 0. 02, खसरा नम्बर 2954 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 3285 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 3381 रकबा 0.23, खसरा नम्बर 3382 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 3400 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 3401 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 3402 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 4574 / 3287 रकबा 0.04 है. हाल आधारा खाता संख्या 292 खसरा नम्बर 3285 / 3481 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 3287 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 3288 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 4560 / 3285 रकबा 0..09 है0 वाके ग्राम घूघरा तहसील अजमेर की राजस्व अभिलेख, मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने एवं विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण / रेसपोडेन्टस को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.10.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर